समक्ष के.एस तीवाना और जे.एम टंडन, जेजे.

श्री बी.के भाटिया और अन्य द्वारा प्रस्तावित चार सेवा आवेदन

12 जुलाई 1984

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 229-उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1952-नियम 3 और 9-उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1973 नियम 2,16 (i) और (ii), 30 (ii), 32 और 36-अपुष्ट प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नति सहायकों के बीच वरिष्ठता के संबंध में विवाद-वरिष्ठता सूची के खिलाफ आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए नियम 2 के तहत कार्यालय न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है - ऐसे न्यायाधीश प्रशासनिक पक्ष पर मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपते हैं, कार्यालय न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश देते हैं - मुख्य न्यायाधीश का ऐसा निर्देश - क्या यह वरिष्ठता सूची को अपनाने के समान है मुख्य न्यायाधीश द्वारा - कार्यालय न्यायाधीश के ऐसे आदेश के खिलाफ अपील क्या नियम 36 के तहत विचारणीय है - 1952 नियमों को 1973 नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया - बाद के नियमों को राजपत्र में अधिसूचित किया गया और विभिन्न तिथियों पर कार्यालय में प्रसारित किया गया-मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें पहले की तारीख से लागू करने का निर्देश देना-नियम-कब लागू हुआ कहा जा सकता है-अनुच्छेद 229-क्या मुख्य न्यायाधीश को नियमों को पूर्वव्यापी संचालन देने के लिए अधिकृत करता है-सीधी भर्ती और पदोन्नत सहायकों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण-कैसे निर्धारित किया जाए -नियम 16 और 30 - क्या कोटा नियम के अनुसार वरिष्ठता के निर्धारण की कल्पना की गई है - वरिष्ठता के निर्धारण के लिए अनिवार्य शर्त - बताई गई - सहायकों की पुष्टि के सिद्धांत - समझाए गए

माना गया कि 'कार्यालय न्यायाधीश' शब्द को उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1973 के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है और उक्त कार्यालय न्यायाधीश संयुक्त वरिष्ठता सूची के खिलाफ दायर आपत्तियों/अभ्यावेदनों पर निर्णय ले सकता है। एक कार्यालय न्यायाधीश के रूप में उक्त आपत्तियों/अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से सक्षम था। कार्यालय न्यायाधीश द्वारा उक्त न्यायाधीश द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए जारी किया गया निर्देश, भले ही मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित हो, आदेश नहीं बनेगा। मुख्य न्यायाधीश की और यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त वरिष्ठता सूची मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई थी। इसलिए, कार्यालय न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील नियमों के नियम 36 के तहत दो या दो से अधिक न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष की जाएगी।

माना गया कि उच्च न्यायालय की स्थापना के सदस्य पहले उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1952 द्वारा शासित होते थे और उसके नियम 9 में सहायक के रूप में नियुक्ति का प्रावधान था। 1973 के नियमों के तहत, यह अनिवार्य कर दिया गया कि सहायकों के 50 प्रतिशत पद प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होने चाहिए। 1973 के नियमों को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और विभिन्न तिथियों पर कार्यालय में प्रसारित किया गया था। ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह प्रावधान करता हो कि नियमों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू माना जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुख्य न्यायाधीश के किसी अलग तिथि से प्रभावी होने के आदेश के अभाव में, उक्त नियम कार्यालय में प्रसारित होते ही लागू हो गए माने जाएंगे। हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि नियम एक निश्चित तारीख से लागू होंगे, हालाँकि वह तारीख पूर्वव्यापी हो सकती है और कहा गया है कि नियम उस तारीख से लागू माने जाएंगे। भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 229 का शीर्षक इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली नियम बनाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत संबंधित शक्ति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप है। इसलिए, पूर्व अनुच्छेद के तहत न्यायालय को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है। (पैरा 15,16,17 और 20)

माना गया कि 1973 के नियमों का नियम 30 प्रतिष्ठान में पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए दो अलग-अलग वरिष्ठता सूची निर्धारित करता है। प्रत्येक श्रेणी में प्रतिष्ठान के अपुष्ट सदस्यों को एक सूची में और पुष्टि किए गए सदस्यों को दूसरी सूची में समूहीकृत किया जाना है। पहले में वरिष्ठता सूची प्रत्येक श्रेणी में निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जानी है जबकि दूसरे में वरिष्ठता की गणना पुष्टि की तारीख से की जाएगी। 1973 के नियमों के नियम 16 के तहत, प्रत्यक्ष सहायकों का कोटा 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और इन नियमों में कोई रोटेशन नियम शामिल नहीं है, न ही उक्त नियम नियम 16 में निहित हो सकता है। जिस समय एक प्रत्यक्ष सहायक की नियुक्ति की जाती है, तो यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या सीधी भर्ती के लिए कोई पद उपलब्ध है। सीधी भर्ती के कोटे में पद के अभाव में सीधे सहायक की नियुक्ति करना संभव नहीं होगा। 1973 के नियम 30 (ii) के तहत अपुष्ट प्रत्यक्ष सहायकों की वरिष्ठता केवल निरंतर सेवा की लंबाई से निर्धारित की जा सकती है। उपरोक्त नियमों के नियम 30(ii) की अनिवार्य शर्त यह है कि अपुष्ट सहायकों की वरिष्ठता, चाहे जन्म चिन्ह कुछ भी हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या पदोन्नत, उनकी निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।यह और भी स्पष्ट है कि यदि पदोन्नत लोगों को सीधी भर्ती के अभाव में उनके कोटे से अधिक एक विशेष अवधि के

दौरान नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है और बाद में उन्हें अपने ही कोटे के तहत समायोजित किया जाता है, तो वे नियम 30 (ii) के तहत वरिष्ठता के लिए अपनी पूरी सेवा अवधि का दावा कर सकते हैं। भर्ती। नियम 30(ii) के तहत तैयार की गई सूची में पदोन्नत सहायकों की तुलना में उनकी वरिष्ठता के बावजूद प्रत्यक्ष सहायक प्रत्येक के लिए पद उपलब्ध होने की तारीख से अपने कोटे के स्थायी पदों के खिलाफ पुष्टि के हकदार हैं और पदधारी 1973 नियमों के नियम 23 के तहत निर्धारित परिवीक्षा की अवधि पूरी करने पर पुष्टि के लिए पात्र है। (पैरा 22, 25, 26 एवं 29)

अपीलकर्ताओं के लिए के.पी भंडारी वरिष्ठ अधिवक्ता, रवि कपूर और सी.बी. कक्कड़, अधिवक्ता।

जे.एल गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, राकेश खन्ना और सुभाष आहूजा, अधिवक्ता।

आर.एस.चीमा, अधिवक्ता-प्रतिवादियों के लिए

निर्णय

जे.एम टंडन, जे.

1. यह आदेश इनके द्वारा दायर चार सेवा अपीलों का निपटान करेगा:
   1. बृज किशोर भाटिया और 46 अन्य;
   2. विद्या प्रकाश गुप्ता और 7 अन्य;
   3. अजीत सिंह; और
   4. वीरेंद्र कुमार शर्मा

   सभी अपीलकर्ता पदोन्नत सहायक हैं। उनकी शिकायत उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1973 के नियम 16 (i) और (ii) के साथ पठित नियम 30 (ii) के संदर्भ में बनाई गई वरिष्ठता सूची में प्रत्यक्ष सहायकों की नियुक्ति के खिलाफ है।
2. 1973 के नियमों के लागू होने से पहले उच्च न्यायालय की स्थापना के सदस्य उच्च न्यायालय की स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम 1952 द्वारा शासित होते थे। 1952 के नियमों के तहत, सहायकों को डिवीजन ए में और क्लर्कों को डिवीजन बी में मंत्रिस्तरीय स्थापना के नियम 3 के तहत शामिल किया गया था। 1952 के नियम 9 में ए डिवीजन में नियुक्ति और पदोन्नति के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह नियम पढ़ता है:

   'ए' डिवीजन में नियुक्ति और पदोन्नति केवल चयन द्वारा की जाएगी। 'बी' डिवीजन के क्लर्क सहायक के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। 'ए' डिवीजन में या स्थायी या स्थानापन्न पर नियुक्तियाँ करने में पालन किया जाने वाला सिद्धांत यह होगा कि 'बेस्टमैन' का चयन किया जाएगा चाहे वह या पहले से ही कार्यालय प्रतिष्ठान पर नहीं है।"
3. ऊपर दिए गए नियम 9 के तहत सहायकों की नियुक्ति या तो सीधे या क्लर्कों से पदोन्नति द्वारा की जा सकती है। 1973 के नियमों के लागू होने से पहले कुछ अपवादों के साथ सहायकों के पद पर नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जाती थी। 1973 के नियमों के तहत, सहायकों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरना अनिवार्य कर दिया गया था। 1973 के नियमों के नियम 16 का प्रासंगिक भाग जो सहायकों की नियुक्ति से संबंधित है, पढ़ता है:

   (i) सहायकों के पचास प्रतिशत पद खुले बाजार से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा स्नातकों से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। इस न्यायालय की स्थापना पर स्नातक क्लर्कों को भी अधिकतम तीन अवसरों के अधीन प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) शेष पचास प्रतिशत पद वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर इस न्यायालय की स्थापना पर क्लर्कों से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

4. 1973 के नियमों के लागू होने के बाद, श्रीमती सुदेश मल्होत्रा (पूर्व-महाजन) को 6 अप्रैल 1974 को सीधी भर्ती के रूप में सहायक नियुक्त किया गया था। सहायक के रूप में नियुक्ति से पहले वह उच्च न्यायालय स्थापना में क्लर्क थीं। उन्हें वरिष्ठता के आधार पर सहायक नियुक्त नहीं किया गया था। अनुकंपा के आधार पर उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से आउट ऑफ टर्न सहायक नियुक्त किया गया था। इसके बाद, परमजीत कौर को 1 अगस्त, 1975 को सीधे सहायक नियुक्त किया गया। परमजीत कौर ने तब से उच्च न्यायालय की सेवा छोड़ दी है। प्रत्यक्ष सहायक के रूप में अगली नियुक्ति 17 दिसंबर, 1976 को इंद्रजीत डोडा की थी। उन्हें भी कार्यालय से हटा दिया गया था। स्थापना। प्रत्यक्ष सहायक के रूप में भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा पहली बार 1977 में आयोजित की गई थी, और परिणाम के आधार पर मई, 1977 में 22 नियुक्तियाँ की गईं। 22 दिसंबर, 1977 को कार्यालय प्रतिष्ठान में कार्यरत एसके पुरी को एक प्रत्यक्ष सहायक नियुक्त किया गया था।

5. 1973 नियमों का नियम 16, 20 जनवरी 1978 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रतिस्थापित नियम 16 पढ़ता है:

"सहायक। 16(1) सहायकों के संवर्ग में रिक्तियां आमतौर पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर इस न्यायालय की स्थापना पर क्लर्कों में से पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी:

बशर्ते कि मुख्य न्यायाधीश, यदि वह ऐसा करना उचित समझे, किसी रिक्ति को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातकों से किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या अन्यथा या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत समकक्ष पद से स्थानांतरण द्वारा भर सकता है।

(2) सहायकों के 50 प्रतिशत स्थायी और साथ ही अस्थायी पद जो तीन साल से अस्तित्व में हैं और जो उक्त अवधि के लिए अस्तित्व में हैं, 800-1400 रुपये के वरिष्ठ वेतनमान में भरे जाएंगे। वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पुष्टि किए गए सहायकों में से चयन द्वारा।

1973 नियमों का नियम 30 उच्च न्यायालय स्थापना की वरिष्ठता से संबंधित है। इसमें लिखा है:

"30. (i) स्थापना में प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए वरिष्ठता अलग से निर्धारित की जाएगी;

(ii) पुष्टिकरण की तिथि तक, वरिष्ठता विशेष श्रेणी के पदों में निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(iii) उसी श्रेणी के भीतर वरिष्ठता विशेष श्रेणी में पुष्टि की तिथि से निर्धारित की जाएगी। एक ही तारीख को पुष्टि किए गए व्यक्तियों के बीच वरिष्ठता उस श्रेणी में अपुष्ट हाथों के रूप में उनकी वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

बशर्ते कि इन नियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, इन नियमों के लागू होने से पहले मुख्य न्यायाधीश या किसी न्यायाधीश या न्यायाधीशों द्वारा पहले से तय की गई किसी विशेष श्रेणी में प्रतिष्ठान के मौजूदा सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता को नियमों में कुछ भी निहित के कारण परेशान नहीं किया जाएगा।

(iv) वरिष्ठता के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में इसका निर्णय मुख्य न्यायाधीश या उस उद्देश्य के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किसी न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

6. 14 मई 1982 को, मुख्य न्यायाधीश की इच्छा थी कि पदोन्नत/सीधे भर्ती किए गए सहायकों और वरिष्ठ अनुवादकों की वरिष्ठता अस्थायी रूप से तय की जाए। परिणामस्वरूप एक अस्थायी, वरिष्ठता सूची तैयार की गई और आपत्तियां आमंत्रित करते हुए प्रसारित की गई। सहायकों ने परस्पर वरिष्ठता के खिलाफ आपत्तियां/अभ्यावेदन दायर किए। प्रोन्नति और सीधी भर्ती के बीच, जैसा कि अस्थायी वरिष्ठता सूची में दर्शाया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय के लिए आपत्तियों/अभ्यावेदनों को सोढ़ी, जे. (कार्यालय न्यायाधीश) को सौंपा, - दिनांक 4 जून, 1983 के आदेश के तहत, जिन्होंने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद दलों; 24 नवंबर, 1983 के आदेश के तहत पदोन्नत और प्रत्यक्ष सहायकों की परस्पर वरिष्ठता के मामले का फैसला किया गया। कार्यालय न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि कार्यालय को उनके द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया जा सकता है। फ़ाइल को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया, जिन्होंने 25 नवंबर, 1983 को "जैसा प्रस्तावित" आदेश दर्ज किया। मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्री ने दो सूचियाँ "ए" और "बी" तैयार कीं। सूची "ए" तैयार की। 28 फरवरी, 1974 को सहायकों के पद पर धारणाधिकार रखने वाले या उस तिथि से सहायक के रूप में काम करने वाले अधिकारियों की सूची है और 28 फरवरी, 1974 को सहायकों और वरिष्ठ अनुवादकों के पदों पर धारणाधिकार रखने वाले सहायकों और वरिष्ठ अनुवादकों की सूची "बी" है या उस तिथि से उसी प्रकार कार्य कर रहे थे। इन सूचियों को अनुमोदन के लिए एसीजे को प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने 20 दिसंबर 1983 के आदेश के माध्यम से इसे प्रसारित करने का निर्देश

दिया था। एसीजे ने एक अन्य आदेश के माध्यम से वरिष्ठता सूची "ए" और "बी" के खिलाफ अभ्यावेदन/आपत्तियां आमंत्रित कीं। 10 फरवरी, 1984। अब विचाराधीन चार अपीलों में अपीलकर्ताओं ने अभ्यावेदन/आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं जिन्हें निर्णय के लिए एसीजे द्वारा इस पीठ को सौंपा गया है, - 19 अप्रैल, 1984 के आदेश के तहत।

7. अपीलकर्ताओं (प्रमोटी-सहायकों) की शिकायत 24 नवंबर, 1983 के कार्यालय न्यायाधीश के आदेश के संदर्भ में विवादित वरिष्ठता सूची में प्रत्यक्ष सहायकों की नियुक्ति के खिलाफ है। आपत्तियों/अभ्यावेदन (अपील) का प्रत्यक्ष सहायक द्वारा विरोध किया गया है।

8. प्रत्यक्ष सहायकों के विद्वान वकील श्री जे.एल. गुप्ता ने आपत्ति उठाई है कि सभी चार अपीलें 1973 के नियम 36 के साथ पठित नियम 32 के तहत सुनवाई योग्य नहीं हैं, क्योंकि कार्यालय न्यायाधीश का आदेश, दिनांक 24 नवंबर, 1983, संबंधित है। विवादित सूचियों में सीधी भर्तियों की नियुक्ति को 25 नवंबर, 1983 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था। तर्क यह है कि 25 नवंबर, 1983 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई मंजूरी के मद्देनजर, सीधी भर्तियों की नियुक्ति को 25 नवंबर, 1983 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था। वरिष्ठता सूची उनके द्वारा अपनाई गई मानी जाएगी और उनका आदेश 1973 के नियमों के तहत अपील योग्य नहीं है। आपत्ति भ्रामक एवं निराधार है।

9. 1973 नियमों के नियम 32 का प्रासंगिक भाग पढ़ता है:

“32. उच्च न्यायालय स्थापना के सदस्यों की नियुक्ति, पदोन्नति और वरिष्ठता के सभी मामले रजिस्ट्रार (विशेष रूप से सशक्त) द्वारा तय किए जाएंगे या जहां रजिस्ट्रार को इतना अधिकार नहीं है, वहां कार्यालय न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया जाएगा:

बशर्ते कि जहां आदेश मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं दिया गया है, वहां प्रतिकूल रूप से प्रभावित प्रतिष्ठान के सदस्य नियम 36(1) के तहत इसके खिलाफ अपील करने के हकदार होंगे: -

(ए) * * *

(बी) * * *

(सी) प्रतिष्ठान के किसी भी सदस्य या सदस्यों की वरिष्ठता तय करने वाला आदेश;

(डी) * * *

1973 नियमों के नियम 36 का प्रासंगिक भाग पढ़ता है:

"36.(1) जहां नियम 32 के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त रजिस्ट्रार द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है, एक अपील मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगी जो या तो

इसे सुन सकता है और इसका निपटारा कर सकता है या इसे सुनवाई और निपटान के लिए एक बेंच को सौंप सकता है या एक या अधिक न्यायाधीश

(2) जहां नियम 32 के तहत कार्यालय न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किया जाता है, अपील दो या दो से अधिक न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष की जाएगी।

शब्द "कार्यालय न्यायाधीश" को 1973 नियमों के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है और परिभाषा इस प्रकार है:

"'कार्यालय न्यायाधीश' का अर्थ है कोई भी न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय की स्थापना से जुड़े किसी भी मामले से निपटने के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा आम तौर पर या विशेष आदेश द्वारा नामित किया जाता है"

28 मई 1983 को, रजिस्ट्रार के कार्यालय ने निम्नलिखित नोट प्रस्तुत किया:

“सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना) के पूर्वोक्त विस्तृत नोट को पृष्ठ 209 से 251 तक देखा जा सकता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश, दिनांक 7 जून, 1980 के तहत, वरिष्ठ अनुवादकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची और सेवा की निरंतर लंबाई के आधार पर तैयार किए गए सहायकों को माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश दिनांक 14 मई, 1982 के तहत पृष्ठ 63 पूर्व में, आपत्तियां, यदि कोई हो, आमंत्रित करने के लिए उपरोक्त कर्मचारियों की दो श्रेणियों के बीच परिचालित किया गया था।

दोनों श्रेणियों के कई कर्मचारियों ने संयुक्त वरिष्ठता सूची में उन्हें सौंपे गए पद के खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि अतीत में ऐसे मामलों का निर्णय माननीय न्यायाधीशों द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद किया गया था। इसे देखते हुए, इस मामले को एक माननीय न्यायाधीश को सौंपने की वांछनीयता पर विचार किया जा सकता है, जो सभी संबंधित अधिकारियों को सुनने के बाद मामले का फैसला कर सकते हैं।"

10. 28 मई की तारीख वाला यह नोट रजिस्ट्रार को भेजा गया था, जिन्होंने इसे 30 मई, 1983 को आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय के लिए सोढ़ी, जे. को मामला सौंपा, - 4 जून के आदेश के तहत, 1983। यह स्पष्ट है कि सोढ़ी, जे., संयुक्त वरिष्ठता सूची के खिलाफ दायर आपत्तियों/अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए 1973 के नियम 2 के अनुसार परिभाषित कार्यालय न्यायाधीश बन गए। कार्यालय न्यायाधीश ने सभी संबंधित पक्षों को सुना और, नवंबर के आदेश के अनुसार 24, 1983 द्वारा संयुक्त वरिष्ठता सूची के विरूद्ध दायर आपत्तियों/अभ्यावेदन पर निर्णय लिया गया। सोढ़ी, जे., एक कार्यालय न्यायाधीश के रूप में स्वयं आपत्तियों/अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में सक्षम थे और उनके दिनांक 24

नवंबर, 1983 के आदेश को प्रभावी होने के लिए मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। 24 नवंबर के आदेश का अंतिम पैराग्राफ, 1983 पढ़ता है: "कार्यालय को ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।"

11. यह कार्यालय न्यायाधीश का यह सुझाव है जिसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था जब बाद में 25 नवंबर, 1983 को "जैसा प्रस्तावित" नोट दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने 24 नवंबर, 1983 के कार्यालय न्यायाधीश के आदेश को मंजूरी नहीं दी थी। यह नहीं माना जा सकता कि मुख्य न्यायाधीश ने सीधे भर्ती किए गए लोगों को संयुक्त वरिष्ठता सूची में रखने के संबंध में कार्यालय न्यायाधीश के आदेश को "जैसा प्रस्तावित" नोट जोड़कर 25 नवंबर 1983 को अपनाया। यह विवादित नहीं है कि कार्यालय न्यायाधीश का आदेश 1973 नियमों के नियम 36 के साथ पठित नियम 32 के तहत अपील योग्य है। कार्यालय न्यायाधीश के आदेश, दिनांक 24 नवंबर, 1963 के संदर्भ में संयुक्त वरिष्ठता सूची में सीधे सहायकों की नियुक्ति के खिलाफ अपील, अब विचाराधीन है, इसलिए सुनवाई योग्य है।

12. 1973 के नियमों के लागू होने से पहले उच्च न्यायालय की स्थापना के सदस्य 1952 के नियमों द्वारा शासित थे, जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया था कि सहायकों के 50 प्रतिशत पदों पर प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा खुले बाजार से स्नातकों की सीधी भर्ती की जानी चाहिए। 1973 के नियम 1 फरवरी, 1975 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क यह है कि 1973 के नियमों के प्रवर्तन के संबंध में किसी भी तारीख के अभाव में, इसे लागू माना जाएगा। उस तारीख से प्रभावी जब उन्हें आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और वैकल्पिक रूप से 24 अप्रैल, 1974 को, जब उनकी प्रतियां उच्च न्यायालय की सभी शाखाओं में प्रसारित की गईं थीं। 1973 के नियमों के लागू होने की तारीख इस कारण से महत्वपूर्ण है कि उसके बाद स्थायी रूप से रिक्त होने वाले 50 प्रतिशत पदों को आवश्यक रूप से सीधी भर्ती से भरना होगा, न कि पदोन्नति से। प्रत्यक्ष सहायकों के लिए विद्वान वकील का तर्क यह है कि 1973 के नियम 18 मार्च 1974 के माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत 1 मार्च 1974 से लागू माने जाएंगे।

13. 1973 के नियमों को 24 अप्रैल 1974 को उच्च न्यायालय की सभी शाखाओं में प्रसारित किया गया था, और 1 फरवरी 1975 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह विवादित नहीं है कि 1973 के नियमों को प्रख्यापित होने के

साथ ही लागू माना जाएगा। या प्रकाशित किया गया या सभी संबंधितों के ध्यान में लाया गया। **हरला बनाम राजस्थान राज्य 1951 एस.सी. 467** में भी ऐसा ही मुद्दा उठा था और यह कहा गया था:

"हमें नहीं पता कि राज्य में किसी अधिनियम के लागू होने के संबंध में जयपुर में कौन से कानून लागू थे। हमें कोई भी नहीं दिखाया गया था, न ही हमारा ध्यान किसी ऐसे रिवाज की ओर आकर्षित किया गया था जिसके बारे में कहा जा सके कि यह मामला नियंत्रित करता है। किसी विशेष कानून या प्रथा के अभाव में, हमारी राय है कि किसी राज्य के विषयों को जबड़े द्वारा दंडित या दंडित करने की अनुमति देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और जिसके बारे में वे नहीं जान सकते थे। यहां तक कि उचित परिश्रम के अभ्यास के साथ भी कोई ज्ञान प्राप्त किया है। प्राकृतिक न्याय के लिए यह आवश्यक है कि किसी कानून के लागू होने से पहले उसे प्रख्यापित या प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसे कुछ पहचानने योग्य तरीके से प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि यह क्या है, या, कम से कम, कुछ विशेष नियम या विनियमन होना चाहिए या प्रथागत चैनल जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी उचित और उचित परिश्रम के साथ हासिल की जा सकती है।

14. 1973 के नियमों का प्रकाशन 24 अप्रैल, 1974 को उच्च न्यायालय की सभी शाखाओं में संचलन द्वारा किया गया था। ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह प्रावधान करता हो कि 1973 के नियमों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू माना जाएगा। .इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1973 के नियम 24 अप्रैल, 1974 से प्रभावी माने जाएंगे, बेशक मुख्य न्यायाधीश के किसी भी आदेश के अभाव में उन्हें 1 मार्च, 1974 से प्रभावी बनाया जाएगा।

15. 18 मार्च 1974 को, कार्यालय ने मुख्य न्यायाधीश को निम्नलिखित नोट प्रस्तुत किया:

"माननीय मुख्य न्यायाधीश कृपया अपने आधिपत्य के 7 फरवरी, 1974 के आदेश को पूर्व पृष्ठ पर पढ़ें।

जैसा कि मौखिक रूप से निर्देशित किया गया है, मसौदा नियमों में 700-40-1100 रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुवादकों, पुनरीक्षकों, अधीक्षक पुस्तकालय और रीडरों और निजी सचिवों के चयन ग्रेड के पदों के संबंध में आवश्यक सुधार किए गए हैं। यदि अनुमोदित हो, तो इन नियमों को 1 मार्च 1974 से लागू और प्रभावी बनाया जा सकता है।

वित्तीय निहितार्थों से जुड़े नियमों को, यदि मंजूरी मिल जाती है, तो अनुमोदन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। 1 मार्च, 1974 के बाद की गई सभी नई नियुक्तियों को नए नियमों द्वारा विनियमित किया गया है।

16. उपरोक्त नोट, दिनांक 18 मार्च, 1974 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसी दिन अनुमोदित किया गया था। 24 अप्रैल, 1974 को प्रसारित नोट में यह उल्लेख किया गया था कि 1973 नियम 1 मार्च, 1974 से लागू हो गए थे। इस प्रकार 24 अप्रैल, 1974 को उच्च न्यायालय की स्थापना के सदस्यों के ध्यान में लाया गया कि 1973 के नियम 1 मार्च, 1974 से लागू हो गए हैं।

17. श्री के.पी. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील भंडारी ने तर्क दिया है कि 1973 के नियम जो संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत बनाए गए थे, उन्हें मुख्य न्यायाधीश द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है और इसलिए, उन्हें प्रख्यापित होने पर लागू माना जाएगा। **महालेखाकार और अन्य बनाम एस. दोरईस्वामी और अन्य A.I.R. 1981 S.C. 783** पर भरोसा रखा गया है। विवाद निराधार है।

18. संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है और यह **बी.एस. वडेरा बनाम भारत संघ और अन्य A.I.R. 1969 S.C. 118** में आयोजित किया गया था। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के तहत भी किया जा सकता है। दोराईस्वामी के मामले (सुप्रा) में, उनके आधिपत्य ने जांच की कि क्या अनुच्छेद 148(5) के तहत बनाए गए नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है।

" अगला सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 148 का खंड (5) पूर्वव्यापी संचालन वाले नियमों को लागू करने की अनुमति देता है। यह स्थापित कानून है कि जब तक नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाला कोई क़ानून पूर्वव्यापी संचालन वाले नियमों को बनाने का प्रावधान नहीं करता है, तब तक बनाए गए नियम उस शक्ति का केवल संभावित संचालन हो सकता है। हालाँकि, एक अपवाद अनुच्छेद 309 का प्रावधान है। बी.एस. में वडेरा बनाम भारत संघ AIR 1969 SC 118, इस न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हो सकते हैं। परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकला कि अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्ति का उद्देश्य एक अंतराल को भरना था, यानी, जब तक कि संसद या राज्य विधानमंडल ने अनुच्छेद 309 के विषय पर एक कानून नहीं बनाया। अनुच्छेद 309 के प्रावधानों की प्रकृति क्षणिक थी और उन्हें

केवल कानून बनने तक कर्तव्य निभाना था। ऐसे कानून के अंतरिम विकल्प के रूप में यह स्पष्ट रूप से इरादा था कि नियमों में संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के समान ही संचालन की सीमा होनी चाहिए। इस आशय को अनुच्छेद 309 के परंतुक में घोषणा द्वारा प्रबल किया गया था कि 'इस प्रकार बनाए गए कोई भी नियम ऐसे किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रभावी होंगे।' वे विशेषताएं अनुच्छेद 148 के खंड (5) में अनुपस्थित हैं। इसमें कुछ भी नहीं है उस खंड की भाषा यह इंगित करने के लिए है कि उसमें बनाए गए नियमों का उद्देश्य संसदीय कानून लागू होने तक काम करना था। खंड में बस इतना कहा गया है कि बनाए गए नियम इसके अधीन होंगे संविधान और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के । हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अनुच्छेद 148 का खंड (5) राष्ट्रपति को "केवल संभावित रूप से संचालित होने वाले" नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। स्पष्ट रूप से, 1974 के नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, और इसलिए, नियम 1 के उप-नियम (2), जो घोषणा करता है कि उन्हें 27 जुलाई 1956 को लागू माना जाएगा, को अधिकारातीत माना जाना चाहिए”

संविधान के अनुच्छेद 148 का खंड (5) पढ़ता है:
"इस संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जैसा वह निर्धारित कर सकते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम।

संविधान के अनुच्छेद 229 का खंड (2) जिसके तहत 1973 नियम बनाए गए हैं, पढ़ता है:
“राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए एवी कानून के प्रावधानों के अधीन, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए या मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत न्यायालय का अधिकारी नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं:
बशर्ते कि इस खंड के तहत बनाए गए नियमों को, जहां तक वे वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन से संबंधित हैं, राज्य के राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

19.अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रचारित मुद्दा यह है कि अनुच्छेद 229 (2) में निहित प्रावधान अनुच्छेद 148 (5) में निहित प्रावधान के समान हैं, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है (उन्होंने अनुच्छेद 229(2) के तहत बनाए गए नियमों को नहीं दिया है) हम इस विवाद से प्रभावित नहीं हैं । **गुरुमूर्ति बनाम महालेखाकार, असम और नागालैंड और अन्य A.I.R. 1971 S.C. 1850** में, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत प्रयोग किए जाने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शक्ति और अधिकार की जांच की। उनके आधिपत्य ने माना:

""अनुच्छेद 229 को अधिनियमित करने में संविधान निर्माताओं का स्पष्ट उद्देश्य और स्पष्ट इरादा यह है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को सर्वोच्च प्राधिकारी होना चाहिए और वहां अनुच्छेद में प्रदान की गई सीमित सीमा को छोड़कर कार्यपालिका द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को सुरक्षित और बनाए रखने के लिए है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संविधान निर्माताओं की चिंता पूरी तरह से उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों, जिसमें न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, को वेतन और भत्तों के समान स्तर पर रखकर दिखाया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा और न ही इस प्रकार लगाए गए किसी भी व्यय की राशि को विधायिका द्वारा भी बदला जा सकता है। अनुच्छेद 229 के खंड (2) के साथ पढ़ा जाने वाला खंड (1) न केवल नियुक्तियों के मामले में, बल्कि न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियमों द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के संबंध में भी विशेष शक्ति प्रदान करता है। यह राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून के अधीन है, लेकिन केवल सेवा की शर्तों के संबंध में। नियुक्तियों के मामले में विधायिका भी खंड (1) के तहत मुख्य न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियों को कम या संशोधित नहीं कर सकती है। राज्यपाल की मंजूरी, जैसा कि नियमों के मामले में देखा गया है, केवल वेतन,भत्ते, छुट्टी या पेंशन से संबंधित नियमों तक ही सीमित है। सेवा शर्तों के संबंध में अन्य सभी नियमों के लिए उनकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि भारत सरकार अधिनियम के तहत भी उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 241 के साथ पठित धारा 242(2) के तहत न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित है।

इसके विपरीत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148 का संदर्भ लिया जा सकता है। खंड (5) प्रदान करता है:

* * *

20. यह स्पष्ट है कि उनके आधिपत्य ने अनुच्छेद 220 के खंड (2) में निहित प्रावधान को अनुच्छेद 148 के खंड (5) के समान नहीं रखा। उनके आधिपत्य द्वारा की गई और ऊपर पुन: प्रस्तुत की गई टिप्पणियाँ, शायद ही कोई संदेह छोड़ती हैं कि नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है अनुच्छेद 229(2) के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत संबंधित शक्ति के अनुरूप हैं। इसलिए, अनुच्छेद 229(2) के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों को पूर्वव्यापी रूप से प्रभाव दिया जा सकता है।

21. 18 मार्च, 1974 को मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि 1973 के नियम 1 मार्च, 1974 से लागू होंगे। इसलिए, इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते कि 1973 के नियम उसी दिन से लागू माने जायेंगे।

22. 1973 के नियम 30 में प्रतिष्ठान में पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए दो अलग-अलग वरिष्ठता सूचियाँ निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक श्रेणी में प्रतिष्ठान के अपुष्ट सदस्यों को एक सूची में और पुष्टि किए गए सदस्यों को दूसरी सूची में समूहीकृत किया जाना है। पहली सूची में वरिष्ठता प्रत्येक श्रेणी में निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जानी है, जबकि दूसरी में वरिष्ठता की गणना पुष्टि की तारीख से की जानी है। अब विचाराधीन अपीलों में, हम पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अपुष्ट सहायकों की वरिष्ठता सूची से चिंतित हैं। विद्वान कार्यालय न्यायाधीश ने पाया है कि 1952 नियम के तहत सहायकों के संवर्ग में 125 पद थे (88 स्थायी और 37 अस्थायी)) और ये सभी पद आवश्यक रूप से पदोन्नत व्यक्तियों के पास होने चाहिए। 1 मार्च 1974 से 1973 के नियमों के लागू होने के बाद, श्रीमती सुदेश मल्होत्रा 6 अप्रैल 1974 को नियुक्त पहली प्रत्यक्ष सहायक थीं, जब 16 ऐसे थे 1 मार्च 1974 से पद उपलब्ध हो गए थे, जिनमें से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने थे। पहली प्रत्यक्ष सहायक होने के नाते श्रीमती सुदेश मल्होत्रा को 16 में से 9वां स्थान दिया गया। परमजीत कौर 1 अगस्त, 1975 को सीधी भर्ती से नियुक्त की गई दूसरी थीं, उस दिन 1 मार्च, 1974 से सहायकों के 33 पद उपलब्ध हो गए थे, जिनमें से 17 पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे। सीधी भर्ती का एक पद पहले से ही श्रीमती सुदेश मल्होत्रा के पास था। परमजीत कौर को 33 में से 19वां स्थान सौंपा गया था। सहायक के रूप में तीसरी सीधी नियुक्ति 17 दिसंबर

1976 को इंद्रजीत डोडा की थी, जिस तारीख को ये पद भरे जाने थे। 1 मार्च, 1974 से प्रभाव बढ़कर 55 हो गया, जिनमें से 28 पदोन्नतियों द्वारा भरे जाने थे। प्रत्यक्ष कोटे से दो पद श्रीमती सुदेश मल्होत्रा और परमजीत कौर के पास थे। परिणामस्वरूप इंद्रजीत डोडा को 55 में से 31वां स्थान दिया गया। मई, 1977 में, 1 मार्च, 1974 से भरे जाने वाले सहायकों के पदों की संख्या निर्धारित की गई। , 55 पर रहा जब 22 सीधी भर्ती नियुक्त की गईं। उन्हें 32 से 53 तक वरिष्ठता सौंपी गई थी। सीधी भर्ती की अंतिम नियुक्ति 22 दिसंबर, 1977 को एस.के. पुरी की थी, जिस तारीख को 1 मार्च, 1974 से भरे जाने वाले पद 63 थे, जिनमें से 32 पदोन्नति से भरा जाए। पच्चीस प्रत्यक्ष सहायकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी थी। एस.के. पुरी को 63 में से 54वां स्थान सौंपा गया था। शुद्ध परिणाम यह है कि 24 नवंबर, 1983 के विद्वान कार्यालय न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में, सहायक की सीधी भर्ती के 63 पदों में से 9, 19, 31 से 54 तक नंबर पर रखा गया है जो 1 मार्च 1974 से 22 दिसम्बर 1977 तक रिक्त रहे ।

23. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विद्वान कार्यालय न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई पद्धति 1973 नियमों के नियम 30 (ii) में निहित प्रावधान के अनुरूप नहीं है। प्रत्यक्ष सहायकों के विद्वान वकील का तर्क यह है कि 1 मार्च 1974 से रिक्त पड़े सहायकों के 63 पदों में से सीधे भर्ती किए गए लोगों को सही स्थान दिए गए हैं। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क मान्य होना चाहिए।

24. 1973 के नियमों के नियम 30 (ii) के अनुसार अपुष्ट सहायकों की वरिष्ठता सहायक के रूप में निरंतर सेवा की लंबाई से निर्धारित की जानी है। विद्वान कार्यालय न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई पद्धति, 24 नवंबर, 1983 के उनके आदेश के अनुसार, स्पष्ट रूप से है इसके परिणामस्वरूप पदोन्नत सहायकों के पास सहायक के रूप में सेवा का कार्यकाल वरिष्ठता में कनिष्ठ के लिए सीधे सहायकों की तुलना में अधिक लंबा है। इस प्रकार निर्धारित वरिष्ठता 1973 के नियमों के नियम 30 (ii) में निहित प्रावधान के खिलाफ है।

25. 1973 के नियम 16 के तहत प्रत्यक्ष सहायकों का कोटा 50 प्रतिशत निर्धारित है। इन नियमों में रोटेशन नियम शामिल नहीं है। रोटेशन का नियम नियम 16 में निहित नहीं है। इसे एन.के. में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा माना गया है। **चौहान और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य A.I.R. 1977 S.C. 251**, कि कोटा नियम स्पष्ट रूप से रोटा नियम के आवेदन को लागू नहीं करता है। सीधी भर्ती के लिए विद्वान वकील ने भी सीधी भर्ती के लाभ के लिए रोटेशन के

नियम के आवेदन पर जोर नहीं दिया जाहिर है क्योंकि 1973 की नियमावली में ऐसा कोई नियम नहीं है ।

26.प्रत्यक्ष सहायक की नियुक्ति के समय यह पता लगाना आवश्यक है कि सीधी भर्ती के लिए कोई पद उपलब्ध है या नहीं। सीधी भर्ती के कोटे में पद के अभाव में सीधे सहायक की नियुक्ति करना संभव नहीं होगा। विद्वान कार्यालय न्यायाधीश ने पाया कि जिस समय प्रत्यक्ष सहायकों को नियुक्त किया गया था, उनके कोटे के भीतर पद उपलब्ध थे।विद्वान कार्यालय न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का दायरा यह पता लगाने की सीमा तक सीमित है कि क्या सीधी भर्ती पर नियुक्ति होने पर प्रत्यक्ष कोटा में कोई पद उपलब्ध है। 1973 के नियम 30 (ii) के तहत एक अपुष्ट प्रत्यक्ष सहायक की वरिष्ठता नियम केवल निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर ही निर्धारित किए जा सकते हैं। 1973 के नियमों के नियम 30 (ii) की अनिवार्य शर्त यह है कि अपुष्ट सहायकों की वरिष्ठता, चाहे जन्मचिह्न कुछ भी हो, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या पदोन्नत, उनकी निरंतर सेवा की लंबाई के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। विद्वान कार्यालय के लिए बहुत सम्मान के साथ न्यायाधीश, 24 नवंबर 1983 के आदेश में लिया गया दृष्टिकोण को कायम नहीं रखा जा सकता जो 1973 नियमों के नियम 30 (ii) के संदर्भ में तैयार की गई वरिष्ठता सूची में सीधे भर्ती किए गए लोगों को 63 में से क्रमांक 9, 19, 31 से 54 तक रखने का निर्देश देता है, जो पद 1 मार्च 1974 से रिक्त पड़े हैं ।

27.अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि सीधी भर्ती के अभाव में अपने कोटे से अधिक एक विशेष अवधि के दौरान नियमित रूप से नियुक्त पदोन्नत व्यक्ति बाद में नियुक्त सीधी भर्ती के खिलाफ वरिष्ठता के लिए अपनी सेवा की पूरी अवधि का दावा कर सकते हैं। **टी.एन.सक्सेना और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य एआईआर 1982 एस.सी. 1244** पर भरोसा रखा गया है। अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क सही है।

28.टी.एन.सक्सेना के मामले (सुप्रा) में, उनके आधिपत्य ने पदोन्नत लोगों और सीधी भर्ती के बीच वरिष्ठता के मुद्दे पर विचार किया और एनके चौहान और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य एआईआर 1977 एससी 251 में पहले के फैसले की जांच की। यह माना गया कि एनके चौहान के मामले में मामले (सुप्रा) में, तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए गए:

"(1) सामान्य नियम यह है कि वरिष्ठता को निरंतर स्थानापन्न सेवा की लंबाई से मापा जाना चाहिए जब तक कि नियमों से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो।

(2) सीधी भर्ती की इच्छा के कारण किसी विशेष अवधि के दौरान नियमित रूप से अपने कोटे से अधिक नियुक्त किए गए पदोन्नत व्यक्ति, सीधी भर्ती के लिए आने वाले समय में आने वाले लोगों के खिलाफ भी वरिष्ठता के लिए अपनी पूरी सेवा अवधि का दावा कर सकते हैं।

(3) जिन पदोन्नतियों ने अपना कोटा पार कर लिया है, उन्हें नियुक्ति के बाद आने वाली सीधी भर्ती में शामिल करने के लिए नीचे धकेलना होगा"

29. यह स्पष्ट है कि सीधी भर्ती के अभाव में अपने कोटे से अधिक एक विशेष अवधि के दौरान नियमित रूप से नियुक्त पदोन्नत और बाद में अपने ही कोटे के तहत समायोजित हो गए लोग सीधी भर्ती के खिलाफ नियम 30 (ii) के तहत वरिष्ठता के लिए अपनी सेवा की पूरी अवधि का दावा कर सकते हैं। प्रत्यक्ष सहायक, 1973 नियमों के नियम एसओ(ii) के तहत तैयार की गई सूची में पदोन्नत सहायकों की तुलना में उनकी वरिष्ठता के बावजूद, उनके कोटे के स्थायी पदों के खिलाफ पद की तारीख से पुष्टि होने के हकदार हैं। प्रत्येक उपलब्ध हो जाता है और पदधारी 1973 के नियमों के नियम 23 के तहत निर्धारित परिवीक्षा की अवधि को पूरा करने पर पुष्टि के लिए पात्र हो जाता है।

30. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का अंतिम तर्क यह है कि श्रीमती सुदेश मल्होत्रा जो पहले से ही उच्च न्यायालय में क्लर्क के रूप में कार्यरत थीं, उन्हें 6 अप्रैल, 1974 को सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, और अक्टूबर, 1976 में ए.सी.जे. आदेश दिया कि उसे सीधी भर्ती के रूप में माना जाए। तर्क आगे बढ़ता है कि इन परिस्थितियों में उसे अक्टूबर, 1976 से प्रत्यक्ष सहायक माना जा सकता है, न कि 6 अप्रैल, 1974 से। यह तर्क निराधार है। श्रीमती सुदेश मल्होत्रा को 6 अप्रैल, 1974 को पदोन्नति के माध्यम से सहायक नियुक्त नहीं किया गया था। लिपिक संवर्ग में उनके वरिष्ठों के दावों पर विचार किए बिना उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया गया। ए.सी.जे. का आदेश अक्टूबर, 1976 में पारित अधिनियम से स्पष्ट है कि श्रीमती सुदेश मल्होत्रा को प्रारंभ में सीधी भर्ती के कोटे से सहायक के रूप में नियुक्त माना जाना था। इसलिए, श्रीमती सुदेश मल्होत्रा को उनकी नियुक्ति की तारीख से ही प्रत्यक्ष सहायक माना गया है।

31. उपरोक्त चर्चा से जो सिद्धांत सामने आते हैं वे हैं:

1. 1973 के नियम 16 के अनुसार प्रत्यक्ष सहायकों के कोटे की गणना 1 मार्च, 1974 से स्थायी रूप से रिक्त हुए पदों से की जाएगी।

2. 1973 के नियम 30(ii) के तहत पदोन्नत और प्रत्यक्ष सहायकों की परस्पर वरिष्ठता उनकी निरंतर सेवा की लंबाई के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

3. सीधी भर्ती के अभाव में अपने कोटे से अधिक एक विशेष अवधि के दौरान नियमित रूप से नियुक्त पदोन्नत सहायकों और बाद में अपने स्वयं के कोटे के तहत समायोजित होने पर उन्हें उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सहायक के रूप में उनकी पूरी सेवा अवधि का लाभ दिया जाएगा। -1973 नियमों के नियम 30(ii) के तहत प्रत्यक्ष सहायकों की तुलना में।

4. 1973 के नियम 30(ii) के तहत पदोन्नत सहायकों की तुलना में उनकी वरिष्ठता की परवाह किए बिना प्रत्यक्ष सहायक, प्रत्येक के लिए पद उपलब्ध होने की तारीख से अपने कोटे के स्थायी पदों के विरुद्ध पुष्टि के हकदार होंगे। और पदधारी 1973 नियमों के नियम 23 के तहत निर्धारित परिवीक्षा की अवधि पूरी करने पर पुष्टि के लिए पात्र है।

32. परिणामस्वरूप, सभी चार सेवा अपीलें स्वीकार कर ली जाती हैं और 1973 के नियम 30 (ii) के तहत बनाई गई वरिष्ठता सूची में प्रत्यक्ष सहायकों की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय न्यायाधीश के दिनांक 24 नवंबर, 1983 के आक्षेपित आदेश को खारिज कर दिया गया है। रजिस्ट्रार तैयार करेगा 1973 के नियम 30(ii) के तहत वरिष्ठता सूची को उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से तैयार किया गया है।

के.एस. तिवाना, जे.- मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फिरोज़पुर झिरका, नूंह